

एनटीपीसी लिमिटेड, (भारत सरकार का एक उद्यम)
एनटीपीसी विंध्याचल, जिला – सिंगरौली (म. प्र.) 486 885
मारुति सुजुकी न्यू डिजायर VXIकी आवश्यकता के लिए सूचना

एन.टी.पी.सी. विन्ध्याचल अपने परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) से न्यू डिजायर VXIवाहन को किराये पर लेने को इच्छुक है:

क्र. सं.	संदर्भ संख्या	दैनिक दर	विवरण	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि
		24 घंटे के लिए (मारुति सुजुकी न्यू डिजायर VXI)		
01	व्हीएसटीपीपी/सीएंडएम/वाहन/VSTPS/M ECH MAINT- /2025-26/Autobase/568143	<p>31.03.2027 तक ₹2,100/-</p> <p>01.04.2027 से 31.03.2028 तक ₹2,300/-</p> <p>01.04.2028 से 31.03.2029 तक ₹2,500/-</p> <p>01.04.2029 से 31.03.2030 तक ₹2,700/- (बढे हुए अवधि के लिए)</p> <p>01.04.2030 से 31.03.2031 तक ₹2,900/- (बढे हुए अवधि के लिए)</p>	<p>आरंभिक अनुबन्धकाल 03 वर्ष और 01 + 01 वर्ष विस्तार योग्य अवधि के लिए 24 घंटे के आधार पर वी.एस.टी.पी.एस.में न्यू डिजायर VXIकी आवश्यकता</p>	<p>15/06/2026 11:00 AM</p>

एन.टी.पी.सी. विन्ध्याचल द्वारा न्यू डिजायर VXIको किराये पर लेने हेतु निविदा संख्या **Tender Reference Number:568143 /Tender ID:2026_NTPC_108975**दिनांक **06.06.2026**एन.टी.पी.सी. पोर्टल पर प्रकाशित कर चुकी है।

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) विस्तृत जानकारी और निर्धारित प्रारूप डाऊनलोड करने के लिए www.ntpc.co.in या www.ntpctender.ntpc.co.in पोर्टल को देखें या पूर्ण दस्तावेज़ कमरा नं 115, प्रशासनिक भवन, एन.टी.पी.सी. विन्ध्याचल से भी प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करने के लिए, एनटीपीसी GePNIC पोर्टल के वेब लिंक <https://eprocurmentpc.nic.in/nicgep/app> पर जाएं।

नोट :

- केवल परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) जिनको जीविकोपार्जन हेतु एनटीपीसी से कोई भी आर्थिक अवसर नहीं मिला है वे ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जानकारी संलग्न प्रारूप में आवेदन समर्पित करेंगे।
- विस्थापित, उनके पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री तथा स्टेज -1 & 2 के विस्थापितों द्वारा केवल नामित सदस्य के ही आवेदन कर सकते हैं।
- उन विस्थापितों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे, जिनको पूर्व में एनटीपीसी द्वारा आर्थिक अवसर प्राप्त हो चुका है। (जैसे स्थाई नौकरी, टाउनशिप परिसर में दुकान का आवंटन, पीएपी समिति निबंधन, पूर्व में पीएपी पीएफ फार्म का पंजीयन, गाड़ी के संविदा का आवंटन इत्यादि)

4. केवल विस्थापितों के फार्म ही स्वीकार किए जाएंगे। गैर विस्थापित व्यक्तियों के साथ विस्थापितों के भागीदारी वाले फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्रम संख्या 3 में वर्णित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्ति गैर विस्थापित श्रेणी में माने जाएंगे।
5. एन.टी.पी.सी. के स्थायी कर्मचारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. पीएपी जिनके वाहन को एन.टी.पी.सी. में सेवाओं के लिए किराए पर लिया गया है, उनपर विचार नहीं किया जाएगा।
7. जिस पीएपी आईडी के तहत पीएपी पीएफ फर्म पंजीकृत है, उस पीएपी आईडी के तहत आवेदन नहीं किया जा सकता है।
8. पीएपी समिति के अध्यक्ष अपने पीएपी आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
9. मारुति सुजुकी न्यू डिजायर VXI लगाने के लिए एन.टी.पी.सी. द्वारा साईन किया हुआ परचेज़ ऑर्डर मिलने के बाद ही नई न्यू डिजायर VXI माडल 2026 या नवीनतममॉडल खरीदें।
10. पीएपी जिनके वाहन को एन.टी.पी.सी. विन्ध्याचल में सेवाओं के लिए किराए पर लिया गया है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। परंतु जिनकी वाहन का PO (Version-0) की अंतिम वैधता दिनांक 30.09.2026 तक है उन पर विचार किया जाएगा।
11. पीएपी जिनके वाहन को एन.टी.पी.सी. में सेवाओं के लिए किराए पर लिया जाएगा वह अच्छी कार्यशील स्थिति में मारुति सुजुकी न्यू डिजायर VXI 2026 माडल उपलब्ध कराएंगे।
12. वाहन को एन.टी.पी.सी. के द्वारा LOI/SAP PO के अवार्ड के बाद ठेकेदार (पीएपी) द्वारा खरीदा जाये और 15 दिनों के भीतर तैनात किया जाना चाहिए।

पत्राचार का पता :

विभागाध्यक्ष(सी एंड एम), एनटीपीसी विन्ध्याचल

कमरा नं 115, प्रशासनिक भवन

पी.ओ. विन्धनगर, जिला – सिंगरौली (म. प्र.) 486 885

संपर्क: अजय पाल, 7588691219, ई-मेल -ajaipal@ntpc.co.in

ए. के. मिश्रा, 9650998477, ई-मेल -akmishra21@ntpc.co.in



Note :

These above rates are excluding Fuel Cost and Road Tax. These components will be reimbursed based on the actual. GST shall be paid extra as applicable.

Contract period is for 1096 (03 years) days x 24hrs. (including Sunday and Holiday) Extendable for further 01 year (as per circular no. 121R) & 01 more year subject to fitness by autobase and performance certified by EIC

Rate indicated above is excluding cost of fuel. Fuel to be arranged by vehicle owner which shall be reimbursed by NTPC @ 17 KM / litre as per average monthly rate from local petrol pump in MP

The vehicle owner should submit a declaration that no extra attachment is installed in vehicle for the Km./Speedo meter variation. If found by EIC & indenting deptt. for such installation mention the above a panel recovery of Rs. 10,000/- should be done per instance.

Toll tax, UP permit, passenger tax etc. shall be reimbursed against documentary evidence with approval of respective HODs.